प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5333 / विधि संशो0 / 2020–21 लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2021

विषयः **उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवा संशोधन) नियमावली, 1988 के नियम–17(1) एवं नियम–17(2) में किये गये संशोधन विषयक निर्गत अधिसूचना दिनांक 15.07.2020 को गजट में प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–122 / 11–6–2021–एम(46) / 2017 दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 1988 के नियम–17(1) एवं नियम–17(2) में कतिपय संशोधन किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–184 / 11–6–2020–एम(46) / 2017 दिनांक 15.07.2020 के गजट की प्रति प्रेषित करते हुए प्रचार–प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.2020 के गजट की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

संख्याः / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1– समस्त संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3– डिप्टी कमिश्नर, आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय, गोमतीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय एप्लीकेशन entertainmenttax.azurewebsites.net पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4– गार्ड फाइल।

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

15 जुलाई, 2020 ई0

सं0 184/11-6-2020-एम(46)/2017-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम 17 का संशोधन-उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :

स्तम्भ-1 विधमान नियम 17-(1) शुल्क-लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा-			स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 17-(1) शुल्क-लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा-		
क्र0 सं0		शुल्क	क्र0 सं0		शुल्क
(एक)	वीडियो चलचित्र, जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5,000.00 रुपये	(एक)	वीडियो चलचित्र, जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 5,000.00 रुपये। परन्तु यह कि किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के माध्यम से वीडियो द्वारा स्थानीय चैनल प्रदर्शित किये जाने के मामले में प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 10,000.00 रुपये लाइसेंस फीस उद्गृहीत की जायेगी।
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर, प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2,500.00 रुपये।	(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर, प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 2,500.00 रुपये।
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2,500.00 रुपये।	(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 2,500.00 रुपये।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
क्र0 सं0	शुल्क	क्र0 सं0	शुल्क
(चार) किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र- (क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।	(चार) किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र- (क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक अवधि या एक वर्ष की अवधि तक नया लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।
(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।
(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहां अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीनों, या संयोजनों, वीडियो स्क्रीन या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो या केबिल सेवाओं द्वारा किया जाये, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, प्रदर्शित ऐसे प्रत्येक स्क्रीन/प्रति संयोजन के लिये प्रति वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उद्गृहीत किया जायेगा।		(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहां अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीनों, वीडियो स्क्रीनों या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो द्वारा किया जाये, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, प्रदर्शित ऐसे प्रत्येक स्क्रीन के लिये प्रति वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उद्गृहीत किया जायेगा। परन्तु यह कि किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के माध्यम से वीडियो या किसी अन्य साधित्र द्वारा स्थानीय चैनल प्रदर्शित किये जाने के मामले में उप नियम (2) का उपबन्ध लागू नहीं होगा।	

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

247

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **184/11-6-2020/M(46)/2017,** Lucknow dated 15 July, 2020.

No. 184/11-6-2020/M(46)/2017

July 15, 2020

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of video) Rules, 1988 :

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of exhibition by means of Video) (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule 17–In the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of exhibition by means of Video) Rules, 1988, for rule 17 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I

Existing rule

Fees: (1) The fee for grant or renewal of licence shall be as follows :

Number of Seats	*Fee*
(i) Video Cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 5,000.00 for every financial year or part thereof per video cassette player.
(ii) Hotel	**Rs. 2,500 per financial year or part thereof per video cassette player.**
(iii) Public Service Vehicle.	**Rs. 2,500 per financial year or part thereof.**
(iv) Traveling Video Cinema in a local area-	
(*a*) for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.

Column II

Rule as hereby substituted

Fees: (1) The fee for grant or renewal of licence shall be as follows :

Number of Seats	*Fee*
(i) Video Cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 5,000.00 for every financial year or part thereof per video cassette player : Provided that in the case of local channel exhibited through any cable television network by means of video, Rs. 10,000.00 for every financial year or part thereof, licence fees shall be levied.
(ii) Hotel	**Rs. 2,500 per financial year or part thereof per video cassette player.**
(iii) Public Service Vehicle.	**Rs. 2,500 per financial year or part thereof.**
(iv) Traveling Video Cinema in a local area-	
(*a*) for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.

Column I *Existing rule*		Column II *Rule as hereby substituted*	
Number of Seats	*Fee*	*Number of Seats*	*Fee*
(b) for the grant or renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.	(b) for the grant or renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.
(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scope, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied, for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called.		(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scope, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied, for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called : Provided that in the case of local channel exhibited through any cable television network by means of video or any other device, the provision of sub-rule (2) shall not apply.	

By order,
ALOK SINHA,
Add. Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–3 सा0 वाणिज्यकर–21-01-2021–750 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।